

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग


लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 13th अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान, 7वें सीपीसी वेतनमान में आहरित वेतन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0058/2016-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17.08.2017 के पैरा संख्या 3 और अनुबंध- II (क) और II (ख) को संदर्भित करने का निदेश दिया जाता है जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दरों को दर्शाया गया है।

2. कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2023 से 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% किया जाए।
3. मंहगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।
4. ये दरें केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया जा चुका है।
5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं ताकि उनकी ओर से कार्रवाई की जा सके।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(डॉ० पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(डॉ० पी.के. सिन्हा)